भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1086
बुधवार, 27 नवम्बर, 2019/6 अग्रहायण, 1941 (शक)

बेरोजगारी में वृद्धि

1086. श्री कुमार केतकरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक तिमाही में बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रतिष्ठित रोजगार के सृजन और युवाओं को श्रम में बेहतर सम्मान देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि के क्या कारण हैं और रोजगार सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि अन्य अवसरों के कम होने के कारण बाज़ार में कम कौशल की आवश्यकता वाले रोजगारों की बहुतायत है, यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से घ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एसपीएंडआई मंत्रालय) द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

बेरोजगारी दर (% में)			
क्षेत्र	श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण		एनएसएस (पीएलएफएस) द्वारा सर्वेक्षण
	2013-14	2015-16	2017-18
ग्रामीण	2.9	3.4	5.3
शहरी	4.9	4.4	7.7

(टिप्पणीः पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

इसके अलावा, वार्षिक पीएलएफएस के परिणाम के अनुसार, 2017-18 के दौरान व्यापक औद्योगिक श्रेणी द्वारा सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक कामगार का वितरण नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	व्यापक औद्योगिक विभाजन	कामगार
1.	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	44.1%
2.	खनन और उत्खनन	0.4%
3.	विनिर्माण	12.1%
4.	विद्युत, जल आदि	0.6%
5.	निर्माण	11.7%
6.	व्यापार, होटल और रेस्तरां	12.0%
7.	परिवहन, भंडारण और संचार	5.9%
8.	अन्य सेवाएं	13.2%

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, 2017-18, एमओएसपीएंडआई

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

इसके अलावा, युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****